न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नैनवॉ जिला बून्दी(राज0)

वाद–पत्र संख्या :–136 / 2018 — दायर दिनांकः।11.10.2018

GCMS NO:- 2018/00218

पीठासीन अधिकारी :–श्योराम (आर.ए.एस.)

1. रामकिशन आ0 रामकुवार जाति धाकड निवासी शिवपुरा तहसील नैनवां जिला बून्दी ।

–प्रार्थी–

बनाम

1. छीतरलाल आ0 भूरा जाति मीणा निवासी सहण तहसील नैनवां जिला बून्दी।
2. आशाराम आ0 छीतरलाल जाति मीणा निवासी सहण तहसील नैनवां जिला बून्दी।
3. मुकेश आ0 छीतरलाल जाति मीणा निवासी सहण तहसील नैनवां जिला बून्दी।
4. रामलाल आ0 गंगाराम जाति बैरवा निवासी सहण तहसील नैनवां जिला बून्दी।
5. राजस्थान सरकार भू–स्वामी जर्ये तहसीलदार साहब नैनवां जिला बून्दी।

–अप्रार्थीगण–

वाद पत्रः– अंतर्गत धारा 251 ए आर.टी एक्ट

उपस्थिति–

प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण

निर्णय दिनांक 08.12.2021

संक्षेपं में प्रार्थना पत्र का कथन इस प्रकार है कि ग्राम शिवपुरा पटवार मण्डल सहण तहसील नैनवां में भूमि प्रार्थी के खातेदारी की खाता संख्या 135 के खसरा संख्या 335,356,405,407, 482,483,484,489,491,503 कुल रकबा 37 बीघा 18 बिस्वा कृषि भूमि स्थित है। यह कि प्रार्थना की चरण संख्या 1 में वर्णित प्रार्थी की अपनी भूमि के खसरा में आने जाने का रास्ता खसरा संख्या 334 गेoमुo खाली(नाला) है, खसरा संख्या 334 व 335 के बीच की मेड पर होता हुआ खसरा सख्या 356 में जाता है। इस रास्ते को नक्शा परिशिष्ट अ में लाल स्याही से दर्शाया है। यह कि उक्त रास्ते के अलावा प्रार्थीगण के खाते की जमीन पर आने जाने का अन्य कोई ऱास्ता नहीं है। इसलिए प्रार्थीगण को अपने खाते की भूमि पर आने जाने व कृषि उपज लाने ले जाने के लिऐ रास्ता दिलाया जाना आवश्यक है। जिसकी राशि प्रार्थीगण नियमानुसार जमा करवाने को तैयार है। प्रार्थीगण ने अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में परिशिष्ट अ,नकल जमाबंदी, नकल नक्शा ट्रेस तथा शपथ–पत्र आदि पेश किये।

रास्ता दिये जाने के सम्बन्ध में तहसीलदार नैनवां से रिपोर्ट प्राप्त की गई। जिसके अनुसार प्रार्थीगण की भूमि तक पहुँचने के लिए प्रस्तावित रास्ता के अतिरिक्त कोई अन्य सीधा एवं सुगम रास्ता का विकल्प नहीं है। प्रार्थीगण द्वारा चाहे गए रास्ते में भूमि खसरा संख्या 771/335 मे से रकबा 16 गठ्ठा • 2 गठ्ठा = 32 वर्ग गठ्ठा भूमि दिया जाना उचित होगा। यह कि प्रस्तावित रास्ता नक्शा ट्रेस में लाल स्याही से दर्शाया गया है।

हमने प्रार्थना पत्र, शपथ पत्र, प्रस्तुत रिकॉर्ड दस्तावेज एवं रास्ता रिपोर्ट तहसीलदार नैनवां का अवलोकन किया। पत्रावली प्रशासन गांवों के संग अभियान केम्प कोर्ट सहण मे पेश हुई । उपस्थित पक्षकारान की प्रार्थना पत्र में बहस सुनी गई [illegible] न्यायोचित प्रतीत होता है। तहसीलदार नैनवां ने भी अपने जवाब/रिपोर्ट में प्रार्थीगण [illegible] रास्ता नक्शा ट्रेस के अनुसार रास्ता दिया जाना उचित बताया है। ग्राम [illegible] तहसील नैनवां में भूमि प्रार्थी के खातेदारी की खाता संख्या 135 के खसरा [illegible] 489,491,503 कुल रकबा 37 बीघा 18 बिस्वा पर पहुंचने के लिए भूमि [illegible] में से रकबा 16 गठ्ठा [illegible]ठा =

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyoram
Date: 2022.01.21 15:59:14 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नैनवां (बून्दी)

Scanned with CamScanner

वर्ग गठ्ठा भूमि, जिसे नक्शा ट्रेस परिशिष्ट "क" में लाल डोटेड लाइन से अंकित किया गया है, के
सार रास्ता राजस्व रिकॉर्ड में कायम किये जाने के आदेश दिये जाते है। जितनी भूमि रास्ते के उपयोग
आयेगी उतनी भूमि की कीमत का नियमानुसार प्रतिकर राजकोष में जमा होने के उपरान्त रास्ता राजस्व
कॉर्ड में कायम किया जावे। नक्शा परिशिष्ट को परिशिष्ट 'क' नाम दिया गया है जो न्यायालय निर्णय
ा अभिन्न अंग होगा। तहसीलदार नैनवां को आदेशित किया जाता है कि मौके पर रास्ता बहाल कर
यमानुसार राजस्व रिकार्ड व राजस्व नक्शे में दर्ज किया जावें।

निर्णय आज दिनांक 08.12.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में
सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नैनवां

उपखण्ड अधिकारी
नैनवा (बून्दी)

Signature Not Verified

Digitally signed by Shyoram
Date: 2022.01.21 15:59:14 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner